

विकास आयुक्त, सीपज़ सेज़ की अध्यक्षता में पवई, मुंबई में मेसर्स फेस्टस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड – सेज़ के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 68 वीं बैठक का कार्यवृत्त, 27.03.2024 को द्वितीय तल सीपज़ में आयोजित किया गया। सेवा केंद्र, सीपज़ सेज़, मुंबई।

Minutes of 68th Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of M/s. Festus Properties Pvt. Ltd. - SEZ, at Powai, Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ- SEZ held on 27.03.2024, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

1. सेज़ का नाम : मेसर्स फेस्टस प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड
2. क्षेत्र : आईटी/आईटीईएस
3. मीटिंग नं : 68th
4. Date : 27.03.2024

सदस्य उपस्थित:

संख्या क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद का नाम	संगठन
1	श्री. सी. पी. एस. चौहान	संयुक्त विकास आयुक्त,	सीपज़- सेज़
2	श्री. लीडर पणिक्कर	संयुक्त आयुक्त आयकर	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती।
3	श्री. हिमांशु धर पांडे	उप निदेशक डीजीएफटी	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामिता।
4	श्रीमती पूनम दराडे	उप निदेशक उद्योग	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती।
5	श्रीमती सुनीता जगताप	सीमा शुल्क अधीक्षक	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती।

विशेष आमंत्रित सदस्य:-

श्री. आर.के. जैन : निर्दिष्ट अधिकारी, फेस्टस- सेज़

श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू सेज़), श्री मनीष कुमार, एडीसी (न्यू सेज़), श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (न्यू सेज़), श्री जी.एस.भंडारी, सहायक (न्यू सेज़) और श्री अशोक कुमार मीना, एलडीसी (न्यू सेज़) भी सहायता के लिए उपस्थित हुए और बैठक का सुचारू संचालन.

एजेंडा आइटम नंबर 01: 07.02.2024 को आयोजित 67वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 27.03.2024 को आयोजित 67वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

एजेंडा आइटम नंबर 02: कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के संबंध में आवेदन - ईआरजीओ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

इकाई ने कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के संबंध में अनुमोदन का अनुरोध किया और सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए। कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण इस प्रकार है:

शेयरधारिता पैटर्न और पहले का ब्रेकअप:-

SHAREHOLDING PATTERN AND BREAKUP BEFORE:-

दिनांक 26.10.2023 के राइट इश्यू के अनुसार आवंटन नीचे उल्लिखित है:

ALLOTMENT AS PER RIGHT ISSUE DATED 26.10.2023 MENTIONED BELOW:

क्रमांक Sr. No.	आवंटिती का नाम Name of Allottee	आवंटी का पता Address of Allottee	आवंटित शेयरों की संख्या Number of shares Allotted	कुल भुगतान राशि (बढ़ता हुआ प्रीमियम रुपये में) Total Amount Paid (Increasing Premium In Rs.)	कॉल पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि (प्रीमियम सहित) बकाया रुपये में) Total Amount to be paid on calls (including premium) outstanding In Rs.)
1.	ERGO Technology & Services Management AG	ERGO-Platz 1 40447 Dusseldorf	30,60,000	30,60,00,000	NA

8/7/24

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 67th meeting held on 07.02.2024.

The Minutes of the 67th Meeting held on 27.03.2024 were confirmed with consensus.

Agenda Item No. 02: Application for w.r.t. Change in Shareholding Pattern of the Company – ERGO Technology and Services Private Limited.

The unit requested for approval w.r.t Change in Shareholding Pattern of the company and submitted all relevant documents. The details of Shareholding Pattern of the company are as under:

- ii. जैसा कि बोर्ड संकल्प दिनांक 26.10.2023 में उल्लिखित है, कंपनी के मौजूदा शेयरहोल्डिंग पैटर्न की विस्तृत संरचना और राइट इश्यू के बाद नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है:

The detailed structure of existing Shareholding pattern of the Company and New Shareholding Pattern after right issue as mentioned in the Board Resolution dated 26.10.2023 is as below:

राइट इश्यू से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न और ब्रेक अप
Shareholding Pattern and Break up before Right Issue

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	मात्रा (रुपये में)
1	अधिकृत पूंजी Authorized Capital	180,00,00,000
2	अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital	122,60,00,000
3	प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	122,60,00,000

Shareholding Pattern and Break up after Right Issue

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	मात्रा (रुपये में) Amount (In Rs.)
1	अधिकृत पूंजी Authorized Capital	1,80,00,00,000
2	अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital	1,53,20,00,000
3	प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1,53,20,00,000

क्रमांक Sr. No.	शेयरधारकों का नाम Name of shareholders	मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न Existing Shareholding Pattern		राइट इश्यू के माध्यम से शेयरों के आवंटन के बाद नया शेयरहोल्डिंग पैटर्न New Shareholding Pattern after allotment of shares by way of right issue	
		शेयरों की संख्या No of Shares	%	शेयरों की संख्या No of Shares	%
1	ERGO Technology & Services Management	1,22,59,999	99.99	1,53,19,999	99.99



	AG				
2	ERGO International AG	01	0.01	01	0.01
	TOTAL	1,22,60,000	100	1,53,20,000	100

- निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं।
- No Change in Composition of Board of Directors.**

निदेशकों की सूची:-

List of Directors:-

Sr. No	शेयरधारिता में परिवर्तन से पहले निदेशक मंडल Board of Directors before change in the shareholding	शेयरधारिता में परिवर्तन के बाद निदेशक मंडल Board of Directors after change in the shareholding
1	Bernhard Steinruecke	Bernhard Steinruecke
2	Pramod Kumar Agarwal	Pramod Kumar Agarwal
3	Mehmood Hasan Mansoori	Mehmood Hasan Mansoori

- निदेशक मंडल की संरचना में कोई बदलाव नहीं है।
- There is No Change in Composition of Board of Directors.**

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार ऊपर बताए अनुसार कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के लिए मेसर्स ईआरजीओ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:

- परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
- परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
- सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

Decision:- After deliberations, the Committee approved the proposal of M/s. ERGO Technology and Services Private Limited for Change in Shareholding Pattern of the company as indicated above in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021:

- Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
- Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
- Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like

4. इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विलय, समामेलन, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आय की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा। कर अधिनियम, 1961.
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न जैसा कि निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में ऊपर दर्शाया गया है। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

capital gains, equity change, transfer, taxability etc.

4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.

5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.

6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.

7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.

8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Meeting ended with the vote of thanks to the Chairman.

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)

अध्यक्ष-सह-
विकास आयुक्त

